

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना के अनुक्रमिक कदम



कार्यकर्ताओं हेतु उपयोगी मार्गदर्शिका

आपदा प्रबन्धन संसाधन केन्द्र
सहभागी शिक्षण केन्द्र
लखनऊ

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना के अनुक्रमिक कदम

संकट के प्रभावों से जूझने हेतु समुदाय स्तर पर पूर्व तैयारी बहुत ही अहम हो जाता है। विभिन्न संकटों का सामना करते हुए समुदाय ने अपने अनुभवों एवं जानकारियों का संकलन किया है। किसी भी आपदा का प्रतिक्रियुत समुदाय ही सबसे पहले करता है तथापि वे अपने स्वयं की निसहायताओं को जानने, समझने एवं उससे निबटने हेतु श्रेष्ठ सिद्ध होते हैं।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्युनीकरण इस अवधारणा पर आधारित है जिसमें समुदाय स्वयं अपने जोखिमों की पहचान, आकलन, अनुश्रवण एवं मुल्यांकन करती है। वे इसके निर्णयकर्ता होते हैं।

समुदाय आधारित आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना समुदाय को तैयार करने हेतु एक प्रयास है जिससे वे आपदा से निबट सकें।

- किसी भी आपदा के समय उससे प्रभावित समुदाय सबसे पहले प्रतिक्रियुत करता है। अतः समुदाय का स्वयं का आपदा जोखिम न्युनीकरण योजना होना जरूरी है।
- समुदाय की स्वयं की निसहायता एवं आपदा से जूझने की क्षमताओं का सम्मान एवं विश्लेषण आवश्यक है ताकि उसी आधार पर कार्ययोजना बन सके।

यह मार्गदर्शिका इन्हीं उद्देश्यों को ध्यान में रखकर बनाई गई है।

सम्बन्ध बनाना (RAPPORT BUILDING)

यह सहभागी ग्रामीण (P.R.A.)से पहले समुदाय के साथ संबंध बनाने के लिए है।

- ग्राम स्तर पर सम्पर्क एवं समुदाय के साथ बातचीत
- ग्राम एवं कृषि क्षेत्र में अनुप्रस्थ काट में चलना
- गांव में सेवाओं एवं अवसंरचनाओं को जानना एवं समझना
- पंचायत से सम्पर्क कर बाढ़ के दौरान उनकी भूमिकाओं को जानना एवं समझना
- गांव सम्बन्धी माध्यमिक सूचनाओं एवं आंकड़ों का संग्रह करना जैसे—जनसंख्या, बी०पी०एल०, सरकारी योजनाओं के लाभार्थी, बाढ़ की स्थिति इत्यादि।
- सरकार एवं अन्य एजेन्सियों द्वारा पिछले बाढ़ों के दौरान किए गए कार्यों का जानना
- ग्राम स्तर पर समुदाय आधारित संस्थाओं/समिति एवं सांस्कृतिक समूहों की स्थिति एवं कार्यों का जानना एवं समझना।
- यदि सम्भव हो तो गांव का स्थान मानचित्र (राजस्व नक्शा), पुरानी रिपोर्ट आदि को इकट्ठा करना एवं उनका अध्ययन करना।

इस आधार पर एक ग्राम वार संचिका बनाना

एक चेकलिस्ट तैयार करें, डी०आर०ए० करने के तरीके को तय करें, समुदाय को सूचना देकर दिनांक एवं समय एवं पी० आर० ए० करने का स्थान तय करें तथा गांव में जाते समय पी० आर० ए० करने हेतु आवश्यक सामग्री साथ लेते जाएं।

गाँव एवं निसहायता को समझना

(1) सामाजिक मानचित्रण

- गांव की भौतिक, स्थानीय एवं सामाजिक संरचनाओं को समझना
- घर, पशु एवं उपकरणों की स्थितियों को जानना
- सामुदायिक संसाधनों (जैसे—जल संसाधन, भवन, मंदिर, अखाड़ा इत्यादि) को जानना एवं समझना
- परिवहन व्यवस्था, वाहन, संचार श्रोत एवं माध्यमों को जानना एवं समझना
- निपुण व्यक्ति— कारीगर, राजमिस्त्री, बढ़ई, चिकित्सा प्रतिनिधि, दाई, इत्यादि को जानना एवं उनके कार्यप्रणाली को समझना
- जनांकिकीय जानकारी लेना

(2) आजीविका संसाधन एवं स्तर/मुद्दे

(मैट्रिक्स क्रमांकन, पाई चार्ट, मौसमी मैट्रिक्स)

आजीविका के स्रोत

- भूमि एवं जल आधारित : कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, मुर्गी, पालन इत्यादि।
- कौशल आधार : दस्तकार, राजमिस्त्री इत्यादि।
- प्रकाशन

लघु अवधि		दीर्घ कालिक	
कुशल	अकुशल	कुशल	अकुशल

- श्रम : कृषि, दैनिक श्रमिक

- मजदूरी दर—सरकारी, निजी
- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून
- आय—व्यय पैटर्न
- कृषि एवं पशुपालन के मुद्दे

(3) आधारभूत सेवाओं का स्तर

- स्वास्थ्य, पेयजल, शिक्षा, आवास, खाद्य सुरक्षा
- सुविधाएं : सड़क, भवन, परिवहन, बाजार,, संचार

सरकारी सेवाओं का स्तर

1. घरेलू स्तर पर

आवास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, स्वच्छता, बीपीएल, वृद्धावस्था पेंशन, अक्षम लाभ योजना, छात्रवृत्ति, बीमा आदि।

2. सामुदायिक स्तर पर

चापानल, सामुदायिक भवन इत्यादि।

सामाजिक/संस्थागत मुद्दे

अन्तर्जातीय संबंध महिलाओं का स्तर, संघर्ष प्रबंधन तंत्र, सीबीओ की भूमिका—पारम्परिक एवं नई, संस्कृति, धर्म, बच्चे, पुरुष—महिला लैंगिक संबंध, परम्पराएं।

राजनीतिक भागीदारी

नेतृत्व, पंचायत की भूमिका—पंचायत से भागीदारी प्रभाव, लाभ।

सामाजिक मानचित्रण

सूचना की सूची	कैसे, इसे जानने के लिए क्या करेंगे	योजना से सूचना का प्रयोग
घर—कच्चा, पक्का, अर्धपक्का	मानचित्रण सीमांकन के दौरान अलग—अलग रंग एवं प्रतीक के माध्यम से	घरों की स्थिति, परिवारों की आर्थिक स्थिति, गांव का घनत्व सुरक्षा की जानकारी दे सकती हैं।
जाति एवं समुदाय आधारित	रंग द्वारा सीमांकन, विभिन्न जाति समूह का कलस्टर बनाएं	अन्तर्जातीय संबंध, संकट के दौरान विभिन्न जाति समूह कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? कौन किसको मदद करता है, क्यों और कैसे? अधिकांश समय में दलित एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े गांव के किनारे अथवा बाहरी सीमा पर रहते हैं जहां सुविधाओं एवं सेवाओं की स्थिति जर्जर होती है।
व्यवसाय, किसान, पशुपालन, कारीगर, भूमिहीन, श्रमिक, पट्टेदार, व्यापारी इत्यादि	घर का मुख्य एवं माध्यमिक आय का स्रोत चिह्नित करना	● आप अलग—अलग व्यवसाय समूह का वर्गीकरण कर उनके व्यवसायिक संकट एवं जोखिम को समझ सकते

		<p>हैं।</p> <ul style="list-style-type: none"> • भूमिहीन की सूची आर्थिक जोखिम को समझने के लिए उपयोगी होगी—कैसे विशेष रूप से खतरा इन समूहों को प्रभावित कर रहा है। • रोजगार की उपलब्धता एवं कार्य की गुणवत्ता का अन्वेषण करें—नरेगा से जोड़ कर देखें।
एकल महिला, विधवा परित्यक्ता, चिरकाल से बीमार, विकलांग, बूढ़े एक आश्रित परिवार	श्रेणी के अनुसार चिन्हित करें।	उनकी सामाजिक, आर्थिक स्थिति को समझना, उनकी मुश्किलों को समझना, ग्रामीण स्तर में इनकी निर्णय लेने में भागीदारी—योजना निर्माण के दौरान इस श्रेणी को बचाव, निकासी एवं तत्काल राहत दी जा सकती है—नक्शे पर उस परिवार को चिन्हित करें जहां ये हैं एवं उन परिवारों को जो मदद दे रही है एवं मदद का प्रकार भी जानें।
आजीविका के लिए प्रवास <ul style="list-style-type: none"> • बल प्रवास • स्वैच्छिक प्रवास 	मौसमी, प्रवास, पैटर्न, गंतव्य, मुद्दों को समझने हेतु सामाजिक मानचित्र पर निशान लगाए। मौसमी चित्र बनाकर समझें।	<ul style="list-style-type: none"> • इससे यह समझा जा सकता है कि किस मौसम में लोग प्रवास करते हैं। • प्रवास के क्या कारण हैं। • अगर कोई संकट अगर बल प्रवास का कारण है तो उसे योजना में जोड़ा जा सकता है।
आर्थिक भलाई	किसी भी धन श्रम का उपयोग करें यह बहुत ही गहन एवं गंभीर विषय है अतः समुदाय के साथ घनिष्ठ है। पूर्व वांछनीय है ऐसा संभव है शुरुकाल में समुदाय गलत अथवा कम जानकारी दें।	इसे निसहायता घटाव योजना में उपयोग करें, अलग-अलग लाभार्थी का चयन करने हेतु उपयोगी, दूसरी जानकारियां जैसे—विधवा, निराश्रित इत्यादि के साथ जोड़े, आपकी सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक निःसहायता योजना इन समूहों को ध्यान में रख कर करें।
अर्न्तजातीय सामुदायिक संबंधता / रिश्ता	रोटी/वेन चित्रण, <ul style="list-style-type: none"> • आर्थिक (साहुकार, पैसे का लेन-देन संसाधन सहभाजन) • सामाजिक (रोटी/बेटी संबंध, भेदभाव) • राजनैतिक (सामुदायिक स्तर 	<ul style="list-style-type: none"> • सामाजिक अभिप्रेरणा के लिए उपयोगी • किन समूहों की अभिप्रेरण की जरूरत है • कौन से अर्न्तजाति साथ काम कर सकते हैं • क्या समझौता किया जा

	एवं ग्रामीण स्तर निर्णय प्रक्रिया आदि)	सकता है। <ul style="list-style-type: none"> • क्या समझौता नहीं किया जा सकता (समुदाय के द्वारा) • समुदाय को सशक्त करने की जरूरत है ज्यादा समय देने की जरूरत है, नेतृत्व क्षमता किनमें विकसित करनी है।
विश्वास, परम्पराएं	फोकस समूह चर्चा एवं समय रेखा <ul style="list-style-type: none"> • विगत 50 सालों का समय रेखा बनाएं जो परिधान, भाषा, नियम, मानदंड, विवाह, मृत्यु, संकल्प आदि को उजागर करें • आपदा/संकट से संबंधित लोगों/को समुदाय का कोई खास विश्वास 	<ul style="list-style-type: none"> • इन परम्पराओं के माध्यम से व्यय का विश्लेषण करें। • सामाजिक बदलाव की प्रक्रिया को समझने हेतु • अगर कोई खास विश्वास आदि बदलाव संकट जनित है तो योजना निर्माण में सहायक होगी।
आधारभूत सेवाएं (स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, आवास)	सेवाओं में मात्रात्मक एवं गुणात्मक स्तर की जानकारी के लिए हम वेन आरेख का उपयोग कर सकते हैं, इसके लिए उपलब्धता, पहुंच, गुणवत्ता को पैरामीटर के रूप में उपयोग कर सकते हैं इसे हम सामान्य एवं संकट दोनों की स्थिति में समझ सकते हैं।	यह जानकारी निःसहायता घटाव योजना के दौरान उपयोग होगी इसे हम संकट जोखिम घटाव के लिए भी उपयोग कर सकते हैं जैसे— स्वास्थ्य की जरूरत, पानी की जरूरत इत्यादि

II. संकट आकलन

समुदायिक संकट आकलन विभिन्न संकटों की प्रकृति एवं स्वभाव को समझता है एवं उससे उत्पन्न खतरों की व्याख्या करता है।

संकट, जोखिम एवं सामुदायिक क्षमता को समझना

- संकट का स्तर
- संकट का इतिहास, प्रभाव, समुदाय की प्रतिक्रिया एवं सीख
- संकट आंकलन : समय रेखा एवं प्रवृत्ति विश्लेषण
- संकट के रोकथाम एवं शमन के लिए सरकार एवं अन्य एजेंसियों का प्रयास
- विभिन्न खतरों द्वारा उत्पन्न मुख्य जोखिम (स्थानीय एवं स्थितिजन्य) एवं निःसहायकों का समुह जोखिम के अनुसार
- शीघ्र चेतावनी प्रणाली एवं स्थिति : पारम्परिक एवं सरकार द्वारा विकसित
- बचाव, निकास एवं प्राथमिक चिकित्सा
- अस्थाई आवास, राहत शिविर, – समुदाय के सतर पर, प्रशासन द्वारा अन्य द्वारा—स्थिति एवं मुद्दे।

- तत्काल राहत— किसके द्वारा, राहत की गुणवत्ता, (स्वास्थ्य, स्वच्छ पानी, स्वच्छता, खाद्य सामग्री)

आपदा जोखिम मूल्यांकन

इसके अर्न्तगत हम संकट, निःसहायता, सामुदायिक एवं व्यक्तिगत क्षमताओं का विश्लेषण करते हैं एवं संकट/आपदा की जोखिम के निष्कर्ष पर पहुंचते हैं यह निष्कर्ष हमारे आपदा घटाव योजना के लिए आधार होता है इसी चरण में समुदाय यह तय करती है। डी0 आर0 आर0 योजना को कैसे आगे ले जाए—क्या काम किया जा सकता है, कैसे होगा एवं कौन क्या भूमिका अदा करेगा।

आसानी से विश्लेषण हेतु जोखिम मानचित्रण बनाया जा सकता है जो यह दर्शाए कौन सा क्षेत्र संकट के कारण ज्यादा जोखिम भरा है, कौन से व्यक्ति ज्यादा निःसहायक हैं, संकट का सामना करने के लिए किन क्षमताओं की आवश्यकता है—अन्ततः यह मानचित्र समुदाय विकास योजना का आधार हो सकता है।

संकट, निःसहायता एवं क्षमताओं का आकलन निम्नलिखित प्रश्नों/पहलुओं का उत्तर देता है—

1. समुदाय द्वारा सबसे आम संकट का अनुभव किया जाता है? इस संकट के क्या लक्षण हैं?
2. इस संकट का क्या कारण है?
3. संकट के कारण गांव के कौन-कौन व्यक्ति उच्च जोखिम श्रेणी में आते हैं?
4. क्या कारण है कि उच्च जोखिम श्रेणी वाली जनसंख्या उच्च जोखिम वाले स्थान पर रह रही है?
5. वैसे कौन से भौतिक तत्व हैं जो अत्यधिक जोखिम के रूप में पहचाने जाते हैं?
6. संकट के रोकथाम हेतु समुदाय के उपाय क्या हैं एवं इन उपायों में संकट के रोकथाम के संदर्भ में रिक्तियां हैं?
7. संकट के प्रभाव को कम करने के लिए समुदाय के क्या उपाय हैं एवं क्या रिक्तियां हैं?
8. व्यक्ति/परिवार/समुदाय खासकर उच्च जोखिम श्रेणी वर्ग में संकट के दौरान अपना स्तित्व बनाए रखने हेतु ज्ञान, कौशल, व्यवहार स्तर पर क्या कमी है?
9. निःसहायता को कम करने के लिए जो तैयारियां हैं उसमें समुदाय स्तर पर क्या रिक्तियां हैं?
10. आगे की कार्यवाही हेतु मुख्य बातें।

संकट को सम्बोधित करती क्षमता

शमन (Mitigation) :

उन उपायों की चर्चा करता है जो संकट के प्रभावों को कम करता है जिससे आपदा की भयावहता में कमी आती है—इसके अर्न्तगत भौतिक आय जैसे—सुरक्षित इमारत डिजाइन या कानून एवं गैर संरचनात्मक उपाय जैसे—प्रशिक्षण अथवा विकसीय मुद्दों की वकालत सम्मिलित किये जाते हैं।

निवारण (Prevention) :

उन गतिविधियों/उपायों की चर्चा करता है जो आपदा की घटना होने से रोकती है अथवा वैसी स्थितियों को रोकती है जिससे आपदा के दौरान हानिकारक प्रभावों से बचा जा सके।

निःसहायता को सम्बोधित करती क्षमता

अस्तित्वता (Survivability) :

इसके अर्न्तगत वैसे गतिविधियां अथवा उपाय शामिल होते जो व्यक्ति की निःसहायता को कम करते हैं जिससे कि मुश्किल के क्षणों में भी उसका अस्तित्व बना रहे।

तत्परता (Readiness) :

इसके अर्न्तगत उन गतिविधियों को शामिल करते हैं जो समूह/समुदाय/संगठन को एक प्रणाली में कार्य करने को तैयार करती है एवं इसके माध्यम से संकट का सामना करने हेतु संकट निवारण कार्य प्रणाली विकसित करती है।

विश्लेषण टेबल : आपदा जोखिम आंकलन प्रारूप**संकट प्रोफाइल**

लोखिम पर तत्व मानव एवं गैर मानव	जोखिम की डिग्री उच्च, मध्यम, कम	संकट		निःसहायता	
		निरोधक क्षमता रिक्रियां	शमन क्षमता रिक्रियां	अस्तित्वता क्षमता रिक्रियां	तत्परता क्षमता रिक्रियां

निष्कर्षों को सारांश

जोखिम के समय तत्वों की प्राथमिकता :

जोखिम घटाव उपाय (उपयुक्त संगठनों सहित) :

रोकथाम के उपाय :

शमन के उपाय :

अस्तित्वता के उपाय :

तत्परता के उपाय :

शमन उपाय को अल्पकालिक एवं दीर्घकालिक रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है आमतौर पर इन उपायों के लिए अधिक संसाधन की जरूरत होती है, इसे केवल समुदाय के द्वारा हाथ में नहीं लिया जा सकता है, इसे केवल समुदाय के द्वारा हाथ में नहीं लिया जा सकता, अतः सरकार की मौजूदा विकास पहल के साथ इन्हे जोड़ना बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है एवं इसे ग्राम पंचायत की योजना से जोड़ना नितांत आवश्यक है जिससे कि निकट भविष्य में पंचायत द्वारा नियोजित तरीके से पूरी की जा सके।

निःसहायता विश्लेषण**प्रभाव**

स्थानीय निःसहायता

- क्षेत्र, गांव, पुरवा, घरेलू

स्थितिजन्य निःसहायता

- ग्राम स्तर, पुरवा स्तर, घरेलू स्तर, व्यक्तिगत
 - आर्थिक
 - सामाजिक
 - लिंग
 - पर्यावरण
 - बीमार/विकलांग

क्षमता में सुधार एवं सामुदायिक तत्परता हेतु योजना

मौजूदा क्षमता	आवश्यक क्षमता	रिक्रियां (जरूरत)	कार्ययोजना
सामाजिक/संस्थागत <ul style="list-style-type: none"> ● CBO, स्वयं सहायता समूह 			
तकनीकी क्षमता <ul style="list-style-type: none"> ● तैरना, बचाव ● निर्माण, आवास 			

• अस्थाई आश्रय			
----------------	--	--	--

जोखिम कम करने की योजना (शमन हेतु)

संकट	क्या किया जाना चाहिए	कौन सा तर्क, योजना	किसकी जिम्मेदारी

निःसहायता घटाव योजना

आधारभूत योजनाएं	समस्याएं	योजना	जिम्मेदारी
खाद्य सुरक्षा			
स्वास्थ्य			
पानी			
आवास			
शिक्षा			

विकास कार्यक्रम	वर्तमान स्थिति एवं समस्या	कार्यक्रम को बढ़ावा हेतु कार्य योजना	जिम्मेदारी
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून			
स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना			
जिला/ब्लाक/पंचायत विकास योजना			
सामुदायिक अंशदान			
सामाजिक सुरक्षा योजना			
<ul style="list-style-type: none"> • घरेलू स्तर पर • बच्चों • निराश्रित/विकलांग आदि 			
विभिन्न कार्यदल			
<ul style="list-style-type: none"> • कार्यदल का नाम • भूमिका एवं कार्य • सदस्य की पहचान • क्षमता निर्माण योजना 			